संख्या-3/2017/1307/एक-9-2017-रा0-9

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2017**

विषय- उ0प्र0 के खातेदार /सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आर-1306/16-99जी/2017 दिनांक 08 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -09-खातेदार /सहखातेदार कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अनाच्छादित अवधि के दावों का भुगतान -42- अन्य व्यय के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3200.00 लाख (रू0 बत्ती हजार लाख) में से (प्रथम पांच माहों के लिए) लेखानुदसान के माध्यम से निर्गत धनराशि रू0 1333 लाख (रू0 एक लाख तीन सौ तैंतीस लाख मात्र) घटाते हुए अवशेष रू0 18,67,00,000/-) रूपये अठ्ठारह करोड़ सरसठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनरशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल /फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सहमति की आवश्यकता हो, ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का भी विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए संचालित व्यक्गित दुर्घटना बीमा योजना के अनाच्छादित अवधि के दावों के भुगतान हेतु किया जायेगा तथा दावों के भुगतान की सूचना नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभर्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा में समायोजित रखा जायेगा। उक्त् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राविधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3/2017/1307(1)/एक-9-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- मुख्य कोषाधिकारी लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0 वी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।